संख्या 9/2022 बी-3- ।/23491 /दस-2022

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विषेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन/
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉकः 14 नवम्बर, 2022

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय, भवन मरम्मत/विस्तार क्रय अग्रिम के ऑकड़ों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय त्रैमास के आकंड़ों का महालेखाकार कार्यालय में लेखांकित ऑकडों से मिलान दिनांक 14.11.2022 से दिनॉक 16.12.2022 तक की निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या 27/2022/ बी-2-269/दस-2022-आर-2/2016 टी0सी0, दिनॉक 01.11.2022 के सन्दर्भ में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय त्रैमास के ऑकड़ों का मिलान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- जिन नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 9/2022 बी-3- ।/23491 /दस-2022तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद। ।

3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।

4- राज्यपाल सचिवालय

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विषेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।